Ll.b.
2semester
Legal history.

बन्दोबस्त अधिनियम, 1781
(Act of Settlement, 1781)

बन्दोबस्त अधिनियम
(Act of Settlement)

1. सपरिषद महाराज्यपाल को शक्तिशाली बनाना
2. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर प्रतिबन्ध व नियन्त्रण
3. सपरिषद-महाराज्यपाल को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति
4. देशी भारतीयों को अंग्रेजी विधि से कुछ मामलों में छूट
5. देशी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा
6. उच्चतम न्यायालय का नियम बनाने का अधिकार
7. सर्वोच्च परिषद को विधि निर्माण का अधिकार
8. कम्पनी की न्याय व्यवस्था एवं अदालतों के स्तर की स्वीकृति व मान्यता क्षतिपूर्ति सम्बन्धित प्रावधान

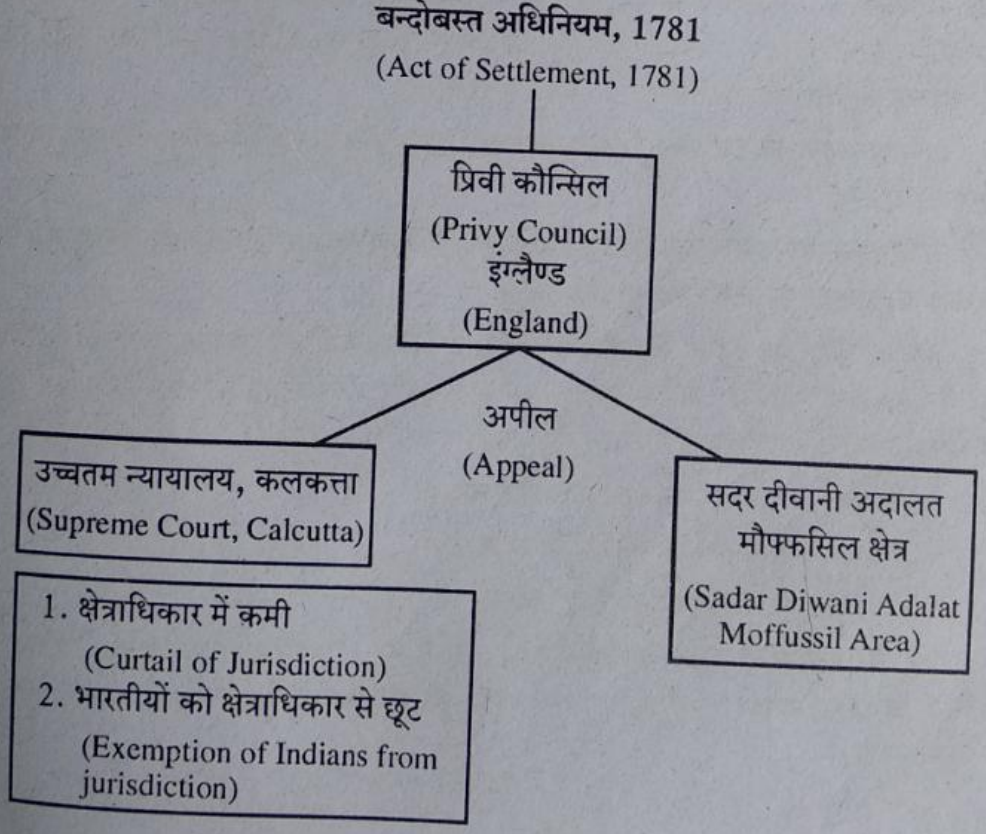

बन्दोबस्त अधिनियम, 1781

Act of Settlement, 1781

सन् 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना भारतीय विधि के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व प्रगतिशील घटना थी। इसकी स्थापना सन् 1773 के रेग्यूलेटिंग अधिनियम एवं सन् 1774 के राजपत्र द्वारा एक स्वतंत्र तथा कार्यपालिका के नियन्त्रण से मुक्त अवधारणा पर की गई थी। इसके व्यवहारिक परिणाम के सन्तोषजनक नहीं रहने का मुख्य कारण था सपरिषद् महाराज्यपाल एवं उच्चतम न्यायालय का आपसी संघर्ष, साथ ही रेग्यूलेटिंग अधिनियम एवं सन् 1774 के राजपत्र की त्रुटियाँ तथा अस्पष्टता जिनके परिणामस्वरूप परिस्थितियाँ बिगड़ने लगीं। कासी जुराह के वाद में तो सपरिषद महाराज्यपाल एवं न्यायालय का आपसी संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया।

उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं उसकी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप नंद कुमार, पटना तथा कासी जुराह वाद के निर्णयों से भारतीयों में भी भय, आतंक व असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई। भारतीयों ने राजस्व वसूली सम्बन्धित सभी कार्य करने बन्द कर दिये, जिससे बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की आर्थिक स्थिति डगमगाने लग गई। सरकार के लिए यह एक चिन्ता का विषय बन गया।

उच्चतम न्यायालय द्वारा कम्पनी के अकर्मण्यता द्वारा शासित न्याय व्यवस्था की पटनावाद ने पोल खोल कर रख दी।

सपरिषद् महाराज्यपाल तथा ब्रिटिश प्रजा ने एक याचिका उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध तथा भारतीय परिस्थितियों को सुधारने के लिए संसद् में प्रस्तुत की।

बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के भारतीयों ने भी अलग से एक याचिका उच्चतम न्यायालय की शिकायत करते हुये ब्रिटिश संसद में भेजी। ब्रिटिश संसद का ध्यान भारतीय परिस्थितियों की तरफ आकर्षित हुये बिना नहीं रह सका। उच्चतम न्यायालय से तीन तरह के विवाद उत्पन्न हो चुके थे—

(1) उच्चतम न्यायालय एवं सपरिषद् महाराज्यपाल

(2) उच्चतम न्यायालय एवं कम्पनी के न्यायालय

(3) उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय निवासी

इन को सुलझाने तथा जांच के लिए ब्रिटिश संसद ने सन् 1780 में टचेट कमेटी की नियुक्ति की। इस कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर संसद द्वारा सन् 1781 का बन्दोबस्त अधिनियम (Act of Settlement) पारित किया गया।

डॉ. एम.पी. जैन[1] के अनुसार—सन् 1781 की संहिता द्वारा सदर दीवानी अदालतों को जीवट एवं सक्रिय बनाने का प्रयास किया गया था। इनकी अधिकारिता एवं शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया था। सदर दीवानी अदालतों को अपीलीय अधिकारिता प्रदान कर दी गई थी। वे मौफ्फसिल दीवानी अदालतों के निर्णयों एवं आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई कर सकती थी। वे मौफ्फसिल दीवानी अदालतों पर पर्यवेक्षण की शक्तियाँ भी रखती थी। वे सराज्यपाल परिषद् द्वारा निर्देशित सिविल प्रकृति के मामलों की सुनवाई करने की आरम्भिक अधिकारिता रखती थी। वे निम्न पंक्ति की अदालतों द्वारा संज्ञेय मामलों से सम्बन्धित परिवादों को ग्रहण कर सकती थी। इस प्रकार इस संहिता द्वारा न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के अनेक उपबंध किये गये।

बन्दोबस्त अधिनियम, 1781 (Act of Settlement, 1781)

अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य (objects)—इस अधिनियम को तत्काल आवश्यकता के रूप में सन् 1773 के रेग्यूलेटिंग अधिनियम की अस्पष्टता को दूर करने के लिए पारित किया गया था।

(1) उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को परिभाषित तथा निश्चित करना।

(2) उच्चतम न्यायालय एवं सपरिषद् महाराज्यपाल के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त कर उनमें समझौता कराना। जिससे भारतीय शासन को बचाया जा सके।

(3) बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की सरकार तथा कम्पनी के न्यायालयों को वैधानिकता प्रदान करना।

(4) भारतवासियों की प्रथा, रूढ़ियों तथा रीतिरिवाजों को सुरक्षित रखना एवं उन्हें मान्यता प्रदान करना, जिससे उनके साथ अन्याय नहीं हो सके।

बन्दोबस्त अधिनियम के मुख्य प्रावधान—

(1) **उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित प्रावधान**—इस अधिनियम के द्वारा उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट तथा परिभाषित करते हुये सीमित कर दिया गया।

(a) उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार—

(i) कलकत्ता के निवासी—कलकत्ता के सभी निवासी उच्चतम न्यायालय के क्षैत्राधिकार में आयेंगे चाहे वे किसी वर्ग, जाति के हों।

(ii) उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से छूट (exemption)—इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सपरिषद् महाराज्यपाल के सदस्यों को उनके कार्यकाल के दौरान किये गये सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया।

यही नहीं बल्कि इन के लिखित आदेशों की पालना करने वाले कर्मचारी के द्वारा हुई क्षति या आपराधिक कार्यों के लिए भी न्यायालय में वाद स्थापित नहीं किया जा सकता था। सपरिषद् महाराज्यपाल के सदस्य इंग्लैण्ड के न्यायालयों से मुक्त नहीं थे।

राजस्व वसूली करने वाले सभी कर्मचारियों को अपनी सेवाकाल के दौरान या सरकारी आदेशों के अन्तर्गत किये गये उच्चतम न्यायालय के क्षैत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया।

विधि अधिकारी अपने सेवाकाल के दौरान किये गये न्यायिक कार्यों एवं न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के अन्तर्गत किये कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिये गये।

भूमि या भूमि लगान आदि में हित रखने वाले व्यक्ति (Persons having interest in lands and rents)—बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के भूमि के स्वामी हो या भूमि या लगान (Farmer of land revenue) से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति का उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। इस

1. Outlines of Indian Legal & Constitutional History.

प्रावधान द्वारा पटनावाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के निर्णय को उलट दिया गया। जब तक कि उसने न्यायालय के क्षेत्राधिकार के लिए कोई लिखित समझौता नहीं कर रखा हो।

(2) **भारतीयों की व्यक्तिगत विधियों को मान्यता**—इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों के विवादों (हिन्दू एवं मुस्लिम) को उनके व्यक्तिगत विधि रीति-रिवाजों, प्रथाओं और रूढ़ियों को ध्यान में रखकर निर्णीत किया जाये। जो व्यवस्था सीमित अवस्था में वारेन हेस्टिंग्स ने मौफ्फसिल क्षेत्रों में सन् 1772 की योजना के अन्तर्गत लागू की थी, उसी का अनुसरण 1781 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता के लिए किया गया। यहाँ तक ही नहीं इस अधिनियम में यह प्रावधान भी रखा गया कि यदि दोनों पक्ष विभिन्न धर्मों को मानने वाले हैं, तो वाद प्रतिवादी की व्यक्तिगत विधि के द्वारा निर्णीत किया जायेगा। ब्रिटिश संसद की यह मान्यता गलत थी कि भारतवासियों में सिर्फ-हिन्दू एवं मुस्लिम धर्म को मानने वाले ही आते थे यहाँ दूसरे धर्मावलम्बी भी निवास करते थे। जिनके बारे में इस अधिनियम में कुछ नहीं कहा था। इसलिये कुछ समय तक इस प्रावधान को लेकर भ्रम बना रहा।

भारतीयों के अधिकारों का संरक्षण—भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक अधिकारों को इस अधिनियम द्वारा संरक्षित किया गया। चाहे वे अंग्रेजी विधि के प्रतिकूल हो जैसे - हिन्दू संयुक्त परिवार में पिता एवं संरक्षक तथा संयुक्त अधिकार एवं कर्त्तव्य स्थापित कर्त्ता के आदि। इस प्रकार भारतीय रीति-रिवाजों, रूढ़ियों एवं प्रथाओं आदि को परिनियमों के समान्तर स्थान प्रदान कर दिया गया। साथ ही उच्चतम न्यायालय को भारतीयों के उनके रीति-रिवाजों प्रथा और रूढ़ियों के अनुरूप नियम एवं प्रक्रिया बनाने का भी अधिकार प्रदान किया गया। यह नियम सचिव के पास अनुमोदन के लिए भेजना आवश्यक था।

कम्पनी की अदालतों को मान्यता—बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में न्यायालयों को मान्यता प्रदान कर दी गई। सदर दीवानी अदालत को 5 हजार पौण्ड तक के वाद मूल्य वादों में निर्णय अन्तिम हो तथा 5000 हजार पौण्ड से अधिक मूल्य के वादों की अपील, प्रिवी कौंसिल को भेजी जा सकती थी। सदर दीवानी अदालत से राजस्व सम्बन्धित वादों का अन्तिम निर्णय सपरिषद् महाराज्यपाल को दिया गया था। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा सन् 1773 के रेग्यूलेटिंग अधिनियम में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। भारत में दो समानान्तर न्याय व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ (कलकत्ता की न्याय व्यवस्था तथा प्रांतीय न्याय व्यवस्था)।

सपरिषद् महाराज्यपाल की विधि निर्माण की शक्ति का विस्तार—सन् 1773 के रेग्यूलेटिंग अधिनियम में सपरिषद् महाराज्यपाल की कलकत्ता प्रेसीडेन्सी के लिए विधि बनाने की शक्ति दी गई। इस शक्ति को उच्चतम न्यायालय द्वारा नियन्त्रित किया गया था।

इस अधिनियम द्वारा सपरिषद् महाराज्यपाल की विधि निर्माण की शक्ति को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रान्तों के लिए विस्तारित कर दिया गया। परिषद् यहाँ के न्यायालयों तथा परिषदों के लिए नियम एवं उपनियम का निर्माण कर सकती थी तथा इस पर उच्चतम न्यायालय का नियन्त्रण भी नहीं था। लेकिन इन नियमों, उपनियमों को बनाने के छः माह के अन्दर इंग्लैण्ड स्थित कम्पनी के संचालन समिति को भेजना आवश्यक था।

इस प्रकार सपरिषद् महाराज्यपाल को दो विभिन्न क्षेत्रों के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हुई। इस अधिनियम में प्राप्त शक्ति से परिषद् ने कई नियम एवं उपनियम बनाये इसका कारण था कि इस शक्ति पर कोई नियन्त्रण नहीं था।

पटनावाद में बन्दी बनाये गये प्रतिवादियों की रिहाई—पटनावाद 1779 में बन्दी बनाये गये सभी प्रतिवादियों को बन्दोबस्त अधिनियम द्वारा रिहा करने तथा नादिरा बेगम को तीन लाख रु. की क्षतिपूर्ति सपरिषद् महाराज्यपाल द्वारा अदा करने का आदेश दिया गया।

प्रतिवादियों को अवधि समाप्त हो जाने पर भी प्रिवी कॉउन्सिल में अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया।

सन् 1779-80 ई. में कासी जुराह के वाद में सपरिषद् महाराज्यपाल एवं अन्य अधिकारियों की ज्यादतियों को भी माफ कर दिया गया।

समीक्षा—ब्रिटिश संसद द्वारा बन्दोबस्त अधिनियम (1781) को पारित करने का उद्देश्य रेग्यूलेटिंग अधिनियम की अस्पष्टताएँ एवं त्रुटियों को समाप्त करना था; परन्तु इस अधिनियम के द्वारा उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सका।

(1) ब्रिटिश अधिराट् एवं कम्पनी द्वारा प्रशासित भारतीय क्षेत्रों का क्या सम्बन्ध है यह स्पष्ट नहीं किया गया।

(2) ब्रिटिश प्रजा, सम्राट् की प्रजा, नेटिव आदि शब्दों को भी परिभाषित नहीं किया गया।

(3) कम्पनी द्वारा प्रशासित न्याय व्यवस्था एवं कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार समवर्ती थे या पृथक्-पृथक् स्पष्ट नहीं किया गया।

बन्दोबस्त अधिनियम पारित करके ब्रिटिश संसद ने सर्वोच्च परिषद् की सर्वोच्चता का समर्थन करते हुये उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सीमित कर दिया।

रेग्यूलेटिंग अधिनियम के द्वारा स्थापित न्याय व्यवस्था का उद्देश्य भारत में एक सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ न्याय व्यवस्था की स्थापना करना तथा भारतीयों को न्याय प्रदान करवाना था। बन्दोबस्त अधिनियम के पारित होने से यह उद्देश्य प्राय: समाप्त हो गया।

अधिनियम द्वारा कार्यपालिका को न्यायिक नियन्त्रण में रखने का विचार भी समाप्त हो गया। कार्यपालिका को निरकुंश बना दिया गया। बन्दोबस्त अधिनियम के पारित होने से उच्चतम न्यायालय का अस्तित्व तो बना रहा; परन्तु उसका क्षेत्राधिकार सीमित हो गया। फिर भी इस न्यायालय ने भारतीय विधि के इतिहास में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया। कालान्तर में इसी प्रकार के न्यायालय मद्रास और बोम्बे में भी स्थापित कर दिये गये।

रेग्यूलेटिंग अधिनियम एवं बन्दोबस्त अधिनियम के परिणामस्वरूप दो प्रकार की स्वतंत्र न्याय व्यवस्था का उद्भव हुआ एक मौफ्फसिल क्षेत्र में कम्पनी द्वारा प्रशासित तथा दूसरी प्रेसीडेन्सी क्षेत्र की न्याय व्यवस्था थी। यह न्याय व्यवस्था 1861 तक अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रतापूर्वक बिना किसी कठिनाइयाँ अपने कार्य करती रहीं।

❑❑❑